जागीर एक्ट

1952

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम संख्या 6)

[राष्ट्रपति की अनुमति 13 फरवरी, 1953 को प्राप्त हुई]

जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण तथा भूमि सुधारों के अन्य उपायों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जो कि सरकार राजस्थान राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,—

(क) "कृषि वर्ष" से जुलाई के प्रथम दिन को प्रारंभ होकर आगामी 30 जून को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है,

(ख) "कृषि" के अन्तर्गत उद्यान-कृषि भी आती है,

(ग) "बोर्ड" से राजस्थान राजस्व बोर्ड अध्यादेश, 1949 के अधीन स्थापित राजस्थान राज्य का राजस्व बोर्ड अभिप्रेत है,

(घ) "खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त" से इस अधिनियम के अधीन खुदकाश्त भूमियों के लिये आयुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ङ) "विद्यमान जागीर विधि" से इस अधिनियम के प्रारंभ के समय सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भी भाग में जागीरों अथवा जागीरदारों के संबंध में प्रवृत्त कोई भी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, नियम, आदेश, संकल्प, अधिसूचना या उप-विधि अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत—

(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भी भाग में ऐसी जागीरों अथवा जागीरदारों के संबंध में प्रचलित विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ि अथवा प्रथा और

(ii) जागीर प्रदत्त करने या उसके अनुदान को मान्यता देने वाले किसी आदेश या लिखित में अन्तर्विष्ट कोई निबन्धन तथा शर्तें,

आती है,

(च) "सरकार से" राजस्थान सरकार अभिप्रेत है,

(छ) "जागीर आयुक्त" से इस अधिनियम के अधीन जागीर आयुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ज) "जागीरदार" से किसी भी विद्यमान जागीर विधि के अधीन जागीरदार के रूप में मान्य कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी जागीरदार से जागीर भूमि का अनुदानग्रहीता भी आता है,

(झ) "जागीर भूमि" से ऐसी कोई भी भूमि अभिप्रेत है जिसमें या जिसके संबंध में कोई जागीरदार भू-राजस्व या किसी अन्य प्रकार की आमदनी संबंधी अधिकार रखता है और इसके अन्तर्गत प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट भौमिक अधिकारों में से किसी पर भी धारित कोई भी भूमि आती है,

(ञ) "खुदकाश्त" से किसी जागीरदार द्वारा वैयक्तिक रूप से जोती गई भूमि अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत—

(i) खुदकाश्त, छीर, हवाला के रूप में बन्दोबस्त अभिलेखों में अभिलिखित भूमि; तथा—

(ii) अध्याय 4 के अधीन किसी जागीरदार को खुदकाश्त के रूप में आवंटित कोई भूमि,

आती है,

(ट) "भूमि" से भूमि तथा भूबद्ध चीजों से या भूबद्ध किसी भी चीज से स्थायी रूप से भाबद्ध चीजों से होने वाले लाभ आते हैं और इसमें गांवों या नगरों के गांवों या नगरों के स्थलों के, या राज्य क्षेत्र के अन्य परिनिश्चित भागों के राजस्व या लगान में अंश या उन पर भार भी आते हैं;

(ठ) "वैयक्तिक रूप से जोती गई भूमि" से इसके व्याकरणिक रूप भेदों तथा सजातीय अभिव्यक्तियों सहित वह भूमि अभिप्रेत है, जो अपने निजी —

(i) स्वयं के श्रम द्वारा, या

(ii) अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम द्वारा, या

(iii) वस्तु अथवा नकद में संदेय मजदूरी पर (किन्तु कसतों में अंश के रूप में नहीं) सेवकों द्वारा या किसी के अपने पर्यवेक्षण में या अपने परिवार के किसी सदस्य के वैयक्तिक पर्यवेक्षण में किराये के श्रमिकों द्वारा,

जोती गई हो :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति जो विधवा है या अवयस्क है या किसी शारीरिक या मानसिक निर्योग्यता से ग्रस्त है अथवा संघ की सशस्त्र सेनाओं का सदस्य है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था का छात्र है और 25 वर्ष से कम आयु का है, के मामले में ऐसे वैयक्तिक पर्यवेक्षण के लिये भी भूमि वैयक्तिक रूप से जोती हुई समझी जायेगी,

(टट) 'दखल की हुई भूमि से वह भूमि अभिप्रेत है जो किसी काश्तकार को कुछ समय के लिए पट्टे पर दे दी गई है और उसके अधिभोग में है और इसके अन्तर्गत खुदकाश्त भी सम्मिलित है, और दखल भूमि से वह भूमि अभिप्रेत है जो दखल में नहीं है,

(ठ) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ड) 'लगान' से ऐसी कोई भी वस्तु अभिप्रेत है जो भूमि के उपयोग अथवा अधिभोग के लिए या भूमि में किसी अधिकार के लिये नकद या वस्तु में अथवा अंशतः नकद और अंशतः वस्तु में संदेय है और इसके अन्तर्गत भूमि की प्राकृतिक उपज से कोई भी आय आती है;

(ढ) 'बन्दोबस्त शुदा' जब किसी गांव या किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में उपयोग किया जाय, तो उससे वह गांव या अन्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिस पर बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान अवधारित लगान की दरें भविष्यलक्षी अथवा भूतलक्षी प्रभाव से लागू की गयी हैं और यदि ऐसी दरें, ऐसे गांव या अन्य क्षेत्र के तीन चौथाई हिस्से से अन्यून पर इस प्रकार लागू की गई हैं तो, ऐसा संपूर्ण गांव या अन्य क्षेत्र, इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों और आदेशों के प्रयोजनों के लिये इस प्रकार बन्दोबस्त शुदा समझा जायगा;

(ण) 'राज्य' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(त) 'शिकमी काश्तकार' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी काश्तकार से भूमि धारण करता है;

(थ) 'काश्तकार' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा, किसी जागीर भूमि के संबंध में अभिव्यक्त अथवा विवक्षित किसी संविदा के अभाव में, लगान संदेय है या होगा, और अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, शिकमी काश्तकार भी इसके अन्तर्गत आता है किन्तु नियत वर्षों की अवधि के लिये कोई पट्टेदार इसमें सम्मिलित नहीं है;

(द) जागीर के संबंध में 'शुल्क' के अन्तर्गत लेख, रकम, चतुंड, चाकरी या इसी प्रकार के अन्य प्रभार आते हैं; और

(ध) × × × ×

3. निर्वचन.—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो केन्द्रीय विधान मण्डल का साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस अधिनियम के निर्वचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह संसद के किसी अधिनियम के निर्वचन के लिये लागू होता है।

अध्याय 2

जागीर भूमियों पर भू-राजस्व का निर्धारण

4. समस्त भूमियां भू-राजस्व के संदाय के दायित्वाधीन होंगी.—किसी भी विद्यमान जागीर भूमि या किसी भी अन्य विधि में किसी भी बात के होते हुए भी, समस्त जागीर भूमियां, इस अधिनियम के प्रारम्भ से, राज्य सरकार को भू-राजस्व का संदाय करने के दायित्वाधीन होंगी, और ऐसे प्रारम्भ से,—

(क) किसी भी विद्यमान जागीर विधि के अधीन सरकार को शुल्क देने का समस्त जागीरदारों का दायित्व समाप्त हो जायेगा; और

(ख) इसी प्रकार किसी जागीरदार से जागीर भूमि का कोई अनुदानग्रहीता अनुदान के संबंध में ऐसे जागीरदार को कोई राशि देने का दायी नहीं रहेगा :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसी किसी भी जागीर भूमि पर लागू नहीं होगी—

(क) जो मूलरूप से अनुदत्त की गई थी या अनुदत्त की गई समझी जाती थी या समझी जाती है और जिसकी आय, किसी शिक्षण या पूत संस्था को चलाने के, या किसी धार्मिक पूजा के स्थान के लिये या किसी धार्मिक सेवा संपादन के लिये उपयोग में लाई जाती है; या

(ख) जिसकी धारा 6 या धारा 7 के अधीन अवधारित लगान से होने वाली आय पांच सौ रुपये से कम है।

5. भू-राजस्व का निर्धारण.—प्रत्येक जागीरदार की जागीर भूमियों के संबंध में संदेय भू-राजस्व इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

6. जागीर भूमियों के लगान से होने वाली आय का अवधारण—(1) किसी जागीरदार की जागीर भूमियों के संबंध में संदेय भू-राजस्व के निर्धारण के प्रयोजन के लिये कलेक्टर सर्व प्रथम इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से ऐसी भूमियों के लगान से होने वाली आय को अवधारित करेगा।

(2) जहां जागीर भूमियां एक से अधिक गांवों में स्थित हों, वहां प्रत्येक गांव में ऐसी भूमियों के लगान से होने वाली आय पृथक् पृथक् अवधारित की जायगी।

(3) किसी गांव में जागीर भूमियों के लगान से होने वाली आय—

(क) जहां गांव एक बन्दोबस्त शुदा गांव है,—

(i) वहां जागीर भूमियों पर उन खुदकाश्त भूमियों के अलावा जिनके संबंध में ... प्रकार निर्धारण नहीं हुआ है ...

(3) जहां कोई जागीरदार किन्हीं जागीर भूमियों के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है, या जहां कलेक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे किसी विवरण में जागीरदार ने लगान से होने वाली किसी आय को छुपाया है या जान बूझकर उसके गलत ब्यौरे दिये हैं तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात् तथा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जांय, उन जागीर भूमियों के लगान से होने वाली आय अवधारित करेगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन किसी जागीरदार द्वारा प्रस्तुत विवरण, जागीरदार को संदेय मुआवजे के अवधारण के प्रयोजन के लिये उसके विरुद्ध उपयोग में लाया जा सकेगा, यदि जागीर का पुनर्ग्रहण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जाय।

8. संदेय भू-राजस्व की रकम. —किसी जागीरदार द्वारा उसकी जागीर भूमियों के संबंध में संदेय भू-राजस्व निम्न प्रकार से होगा —

(क) कृषि वर्ष 1951-52 के लिये उसके द्वारा सरकार को उस वर्ष के लिये संदेय शुल्क की रकम के बराबर,

(ख) कृषि वर्ष 1952-53 तथा उत्तरवर्ती छः कृषि वर्षों में से प्रत्येक के लिये——

(i) उन जागीर भूमियों के संबंध में, जिनकी लगान से होने वाली वार्षिक आय, जैसी कि धारा 6 या धारा 7 के अधीन अवधारित की गई है, पांच सौ रुपए से अधिक है किन्तु पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, लगान से होने वाली ऐसी आय का सोलहवां भाग अथवा जागीरदार द्वारा कृषि वर्ष 1950-51 के लिये संदेय शुल्क की रकम दोनों में से जो भी अधिक हो,

स्पष्टीकरण:—इस खण्ड के प्रयोजन के लिये, किसी जागीरदार द्वारा कृषि वर्ष 1950-51 के लिये सरकार को संदेय शुल्क की रकम में से किसी व्यक्ति, जिसको कि ऐसे जागीरदार ने अपनी जागीर भूमियों में से कोई भूमि अनुदत्त कर दी हो, के द्वारा ऐसे जागीरदार को संदेय किसी शुल्क की रकम के कम किये जाने पर प्राप्त होने वाली रकम ऐसे शुल्क की रकम समझी जायेगी।

(ग) कृषि वर्ष 1959-60 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के लिये, जागीर भूमियों के लगान से होने वाली आय जैसी कि धारा 6 और 7 के अधीन अवधारित की गई है का एक चौथाई भाग:

परन्तु:—

(i) जहां जागीरदार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व कोई शुल्क संदेय नहीं था या जहां ऐसे प्रारम्भ से पूर्व सम्पूर्ण शुल्क दे दिया गया हो, वहां वे जागीर भूमियां कृषि वर्ष 1951-52 के लिये भू-राजस्व के संदाय से मुक्त समझी जायेंगी,

(ii) जहां जागीरदार ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व शुल्क का कुछ अंश दे दिया है वहां कृषि वर्ष 1951-52 के लिये उसके द्वारा संदेय भू-राजस्व उस शुल्क की शेष रकम के बराबर होगा, जो, यदि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता तो, उसके द्वारा उस वर्ष के लिए संदेय होता, और

(iii) सरकार यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा के खण्ड (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिये उन खण्डों में वर्णित समस्त अथवा किसी भी कृषि वर्ष के लिए किसी भी जागीर भूमि के लगान से होने वाली आय ऐसे वर्ष या वर्षों में, जैसी भी स्थिति हो, वस्तुतः जागीर भूमि से जागीरदार को लगान से हुई आय के आधार पर अवधारित या पुनः अवधारित की जायेगी।

अध्याय-3

जागीर भूमियों में काश्तकारों के खातेदारी अधिकार

9. जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार.—जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, माफीदार के रूप में या किसी अन्य रूप में, जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त हैं, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

10. खुदकाश्त भूमि में खातेदारी अधिकार.—किसी जागीर भूमि के पुनर्ग्रहण की तारीख को किसी जागीरदार की कोई भी खुदकाश्त भूमि, × × × जागीरदार द्वारा एक खातेदार काश्तकार के रूप में धारित की गई समझी जायेगी, और उस गांव की दर पर उसके संबंध में निर्धारण किया जायगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा में, अभिव्यक्ति 'गांव की दर' से वर्तमान बन्दोबस्त में मृदा के किसी विशिष्ट वर्ग के लिये नियत की गई दर अभिप्रेत है तथा किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें बन्दोबस्त नहीं किया गया है, कलेक्टर द्वारा समीपवर्ती गांव या गांवों में उसी प्रकार के मृदा के लिये प्रचलित दरों को ध्यान में रखते हुए नियत की गई दर अभिप्रेत है।

11. [लोपित]

12. [लोपित]

अध्याय-4

खुदकाश्त

13. खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त.—सरकार, राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, खुदकाश्त भूमियों के लिये एक आयुक्त नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायं।

(3) जहां कोई जागीरदार किन्हीं जागीर भूमियों के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है, या जहां कलेक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे किसी विवरण में जागीरदार ने लगान से होने वाली किसी आय को छुपाया है या जान बूझकर उसके गलत ब्यौरे दिये हैं तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात् तथा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जांय, उन जागीर भूमियों के लगान से होने वाली आय अवधारित करेगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन किसी जागीरदार द्वारा प्रस्तुत विवरण, जागीरदार को संदेय मुआवजे के अवधारण के प्रयोजन के लिये उसके विरुद्ध उपयोग में लाया जा सकेगा, यदि जागीर का पुनर्ग्रहण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जाय।

8. संदेय भू-राजस्व की रकम. —किसी जागीरदार द्वारा उसकी जागीर भूमियों के संबंध में संदेय भू-राजस्व निम्न प्रकार से होगा —

(क) कृषि वर्ष 1951-52 के लिये उसके द्वारा सरकार को उस वर्ष के लिये संदेय शुल्क की रकम के बराबर,

(ख) कृषि वर्ष 1952-53 तथा उत्तरवर्ती छः कृषि वर्षों में से प्रत्येक के लिये——

(i) उन जागीर भूमियों के संबंध में, जिनकी लगान से होने वाली वार्षिक आय, जैसी कि धारा 6 या धारा 7 के अधीन अवधारित की गई है, पांच सौ रुपये से अधिक है किन्तु पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, लगान से होने वाली ऐसी आय का सोलहवां भाग अथवा जागीरदार द्वारा कृषि वर्ष 1950-51 के लिये संदेय शुल्क की रकम दोनों में से जो भी अधिक हो,

स्पष्टीकरण:—इस खण्ड के प्रयोजन के लिये, किसी जागीरदार द्वारा कृषि वर्ष 1950-51 के लिये सरकार को संदेय शुल्क की रकम में से किसी व्यक्ति, जिसको कि ऐसे जागीरदार ने अपनी जागीर भूमियों में से कोई भूमि अनुदत्त कर दी हो, के द्वारा ऐसे जागीरदार को संदेय किसी शुल्क की रकम के कम किये जाने पर प्राप्त होने वाली रकम ऐसे शुल्क की रकम समझी जायेगी।

(ग) कृषि वर्ष 1959-60 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के लिये, जागीर भूमियों के लगान से होने वाली आय जैसी कि धारा 6 और 7 के अधीन अवधारित की गई है का एक चौथाई भाग:

परन्तु:—

(i) जहां जागीरदार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व कोई शुल्क संदेय नहीं था या जहां ऐसे प्रारम्भ से पूर्व सम्पूर्ण शुल्क दे दिया गया हो, वहां वे जागीर भूमियां कृषि वर्ष 1951-52 के लिये भू-राजस्व के संदाय से मुक्त समझी जायेंगी,

(ii) जहां जागीरदार ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व शुल्क का कुछ अंश दे दिया है वहां कृषि वर्ष 1951-52 के लिये उसके द्वारा संदेय भू-राजस्व उस शुल्क की शेष रकम के बराबर होगा, जो, यदि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता तो, उसके द्वारा उस वर्ष के लिए संदेय होता, और

(iii) सरकार यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा के खण्ड (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिये उन खण्डों में वर्णित समस्त अथवा किसी भी कृषि वर्ष के लिए किसी भी जागीर भूमि के लगान से होने वाली आय ऐसे वर्ष या वर्षों में, जैसी भी स्थिति हो, वस्तुतः जागीर भूमि से जागीरदार को लगान से हुई आय के आधार पर अवधारित या पुनः अवधारित की जायेगी।

अध्याय-3

जागीर भूमियों में काश्तकारों के खातेदारी अधिकार

9. जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार.—जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में, जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त हैं, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

10. खुदकाश्त भूमि में खातेदारी अधिकार.—किसी जागीर भूमि के पुनर्ग्रहण की तारीख को किसी जागीरदार की कोई भी खुदकाश्त भूमि [× × ×] जागीरदार द्वारा एक खातेदार काश्तकार के रूप में धारित की गई समझी जायेगी, और उस गांव की दर पर उसके संबंध में निर्धारण किया जायगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में, अभिव्यक्ति 'गांव की दर' से वर्तमान बन्दोबस्त में मृदा के किसी विशिष्ट वर्ग के लिये नियत की गई दर अभिप्रेत है तथा किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें बन्दोबस्त नहीं किया गया है, कलेक्टर द्वारा समीपवर्ती गांव या गांवों में उसी प्रकार के मृदा के लिये प्रचलित दरों को ध्यान में रखते हुए नियत की गई दर अभिप्रेत है।

11. [लोपित]

12. [लोपित]

अध्याय-4

खुदकाश्त

13. खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त.—सरकार, राजस्थान राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, खुदकाश्त भूमियों के लिये एक आयुक्त नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायं।

14. खुदकाश्त के आवंटन के लिये आवेदन-पत्र.—(1) कोई जागीरदार जिसके पास 1 जुलाई, 1954 को कोई भी खुदकाश्त नहीं है अथवा जिसके पास ऐसी तारीख को धारा 18 में विनिर्दिष्ट अधिकतम क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल की खुदकाश्त भूमि है, 31 अगस्त, 1958 तक या पुनर्ग्रहण की तारीख के तीन माह के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, कलेक्टर या खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त को खुदकाश्त भूमि के आवंटन के लिये आवेदन कर सकेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन-पत्र विहित प्ररूप में होगा तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) में वादपत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें सत्यापित करने के लिये उपबन्धित रीति से उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उन्हें सत्यापित किया जायेगा।

15. भूमि का अंतरित पट्टा.—धारा 14 के अधीन किसी आवेदन-पत्र का अंतिम रूप से अवधारण होने तक, कलक्टर आवेदक को, उसके द्वारा वैयक्तिक रूप से जोते जाने के लिए उस गांव में जहां वह साधारणतः निवास करता है, या जहां उसकी जागीर भूमियां स्थित हैं या पड़ौस के गांवों में ऐसी रिक्त भूमि जो उपलब्ध हो, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, पट्टे पर देगा, जो विहित की जाय।

16. खुदकाश्त का आवंटन.—(1) जहां खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त को धारा 14 के अधीन कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होता है, वहां वह विहित रीति से जांच करने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा, जो वह उप-धारा (2) के खण्ड (क) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, उचित समझे।

(2) जहां धारा 14 के अधीन कोई आवेदन पत्र कलेक्टर को प्राप्त होता है, वहां कलेक्टर विहित रीति से ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे—

(क) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् जागीरदार ने अपनी जागीर भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये हैं, अथवा जहां जागीरदार के परिवार का या परिवार के कोई सदस्य धारा 18 में दिये गये मापमान के अनुसार भूमि धारण करता है या करते हैं, आवेदन-पत्र को नामंजूर कर सकेगा,

(ख) जहां खुदकाश्त के रूप में आवंटित किए जाने के लिए आवेदित क्षेत्रफल 30 एकड़ से अधिक नहीं हों, वहां या तो आवेदन को नामंजूर कर सकेगा या आवेदक को भूमि का इतना क्षेत्रफल (आवेदित क्षेत्रफल से अधिक नहीं) खुदकाश्त के रूप में आवंटित कर सकेगा, जितना वह उचित समझे, तथा

(ग) किसी अन्य दशा में आवेदन-पत्र में अन्तर्विष्ट मामलों के संबंध में अपनी रिपोर्ट खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त को उस पर आदेश हेतु प्रस्तुत करेगा, और जहां कलेक्टर खुदकाश्त के आवंटन की सिफारिश करता है, वहां वह उस रीति को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसमें उसकी सिफारिश को कार्यान्वित किया जा सके।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन खुदकाश्त भूमियों के कमिश्नर द्वारा कोई आदेश पारित किये जाने के पश्चात् कलेक्टर यथाशक्य शीघ्र ऐसे आदेश को कार्यान्वित करेगा।

17. [लोपित]

18. खुदकाश्त के अधिकतम क्षेत्रफल.—(1) उप-धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले खुदकाश्त के रूप में धारित किसी भूमि सहित इस अध्याय के अधीन आवंटित भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल—

(क) जहां जागीर भूमि का क्षेत्रफल 60 एकड़ से अधिक नहीं है, वहां उस क्षेत्रफल के आधे से अधिक नहीं होगा,

(ख) जहां जागीर भूमि का क्षेत्रफल 60 एकड़ से अधिक है लेकिन 200 एकड़ से अधिक नहीं है, वहां खण्ड (क) के अधीन अनुज्ञेय क्षेत्रफल के अतिरिक्त 60 एकड़ से जितना अधिक क्षेत्रफल है उसके 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा,

(ग) जहां जागीर भूमि का क्षेत्रफल 200 एकड़ से अधिक है लेकिन 500 एकड़ से अधिक नहीं है, वहां खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन अनुज्ञेय क्षेत्रफल के अतिरिक्त 200 एकड़ से जितना अधिक क्षेत्रफल है, उसके 15 प्रतिशत से, अधिक नहीं होगा,

(घ) जहां जागीर भूमि का क्षेत्रफल 500 एकड़ से अधिक है, लेकिन 1,000 एकड़ से अधिक नहीं है, वहां खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन अनुज्ञेय क्षेत्रफल के अतिरिक्त 500 एकड़ से जितना अधिक क्षेत्रफल है उसके 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा,

(ङ) जहां जागीर भूमि का क्षेत्रफल 1,000 एकड़ से अधिक है, वहां खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन अनुज्ञेय क्षेत्रफल के अतिरिक्त 100 एकड़ से जितना अधिक क्षेत्रफल है उसके 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथापि इस प्रकार आवंटित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :- (1) इस धारा में एक एकड़ भूमि से एक एकड़ असिंचित भूमि अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण :- (2) इस धारा के अधीन भूमि के क्षेत्रफल की संगणना के प्रयोजनों के लिये, एक एकड़ सिंचित भूमि तीन एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, जहां किसी जागीरदार के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय उसमें विनिर्दिष्ट अधिकतम क्षेत्र से अधिक खुदकाश्त भूमि है, वहां ऐसी भूमि खुदकाश्त के रूप में उसके पास बनी रहेगी।

19. भूमियों के प्रवर्ग जो खुदकाश्त के रूप में आवंटित किये जा सकेंगे.— (1) इस अध्याय के अधीन केवल निम्नांकित प्रवर्ग की भूमियां ही, यदि उपलब्ध हों, नीचे वर्णित क्रम में खुदकाश्त के रूप में आवंटित की जा सकेंगी अर्थात् :-

(i) काश्तकारों द्वारा समर्पित भूमि,

(ii) काश्तकारों द्वारा परित्यक्त भूमि,

(iii) वह भूमि जो कृषि वर्ष 1948-49 के ठीक पांच वर्ष तक निरन्तर स्वंय जागीरदार द्वारा जोती गई थी जो उक्त वर्ष के दौरान या उसके पश्चात् किसी नियत अवधि के लिये पट्टे पर दे दी गई थी और ऐसा पट्टा धारा 14 के अधीन आवेदन-पत्र देने की तारीख से पहले समाप्त हो गया होता यदि राजस्थान (काश्तकारों का संरक्षण) अध्यादेश, 1949 के उपबन्ध नहीं होते, जब तक कि ऐसे पट्टे की अवधि के दौरान काश्तकार को किसी भी विधि के अधीन खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत न हो गये हों,

(iv) जागीर के अन्दर खेती करने योग्य अधिभोग विहीन भूमि,

(v) उस गांव या उन गांवों, जिनमें जागीरदार की जागीर भूमियां स्थित हैं, के पड़ोस में ऊपर खण्ड (i), (ii) या (iv) में विनिर्दिष्ट प्रकार की भूमि,

(vi) भाकरा या चम्बल परियोजना अथवा जवाई बांध या किसी अन्य सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित भूमि परन्तु ऐसी भूमि, का खुदकाश्त के रूप में आवण्टन ऐसे रियायती निर्बन्धनों और शर्तों पर होगा जो विहित की जायें,

(vii) जागीर भूमि से भिन्न, कोई भी खेती करने योग्य अधिभोग विहीन भूमि, जो कलेक्टर की राय में चरागाह भूमि के रूप में या आसपास के गांवों के लिये किसी जलाशय में पीने का पानी एकत्रित करने के लिये अलग रखी गई भूमि के रूप में अपेक्षित नहीं है ।

(2) जहां उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां खुदकाश्त के आवण्टन के लिये दिया गया आवेदन-पत्र नामन्जूर कर दिया जायेगा ।

19क. वैयक्तिक रूप से जोती जाने वाली भूमियों का अन्य भूमियों से विनिमय.— कोई जागीरदार, जो उसके द्वारा वैयक्तिक रूप से जोती जाने वाली भूमि का, धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकार की किसी भी अन्य भूमि से विनिमय करना चाहता है, धारा 21 के अधीन जारी की गई अधिसूचना की तारीख से छः माह के भीतर विहित रीति से खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त को, ऐसे विनिमय के लिये आवेदन कर सकेगा, और उक्त आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, सरकार को एक प्रतिवेदन देगा, और सरकार उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे कि वह उचित समझे ।

19-ख. कतिपय भूमियों के खुदकाश्त के रूप में आवंटन की परीक्षा एवं उसका रद्दकरण.— धारा 19 या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार,

इस निमित्त लिखित में कोई परिवाद किये जाने पर, या अन्यथा तथ्यों के उसकी जानकारी में आने पर, राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1958 के प्रारम्भ होने की तारीख से छः माह के भीतर या ऐसे आवंटन की तारीख से, जो भी बाद में हो, ऐसे व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध परिवाद किया है, सुनवाई करने के पश्चात्

(i) आदेश दे सकेगी कि धारा 19 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी भूमि के आवंटन के मामले की ऐसे प्राधिकारी द्वारा परीक्षा की जाय, जो कलेक्टर के रैंक से नीचे का न हो, जिसे राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा प्राधिकृत करे, और

(ii) ऐसे आवण्टन को रद्द कर सकेगी यदि यह पाया जाय कि वह आवंटिती के कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया था ।

अध्याय-5

जागीर भूमियों का पुनर्ग्रहण

20. [लोपित]

21. जागीर भूमियों का पुनर्ग्रहण .—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, सरकार, राजस्थान राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी वर्ग की जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण के लिये कोई तारीख नियत कर सकेगी और भिन्न-भिन्न वर्गों की जागीर भूमियों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

(2) सरकार, राजस्थान राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन नियत किसी तारीख को ऐसी तारीख से पूर्व किसी भी समय बदल सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन किन्हीं भी जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण के संबंध में अन्तिम रूप से नियत की गई तारीख एतद्पश्चात् उन जागीर भूमियों के 'पुनर्ग्रहण की तारीख' के रूप में निर्दिष्ट की गई है ।

22. पुनर्ग्रहण के परिणाम .—(1) किन्हीं भी जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण की तारीख से उन पर लागू होने वाली किसी भी विद्यमान जागीर-विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसे छोड़कर—

(क) जागीरदार तथा उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति के × × × उसकी जागीर भूमियों में, अधिकार हक और हित वनों, वृक्षों, मीन क्षेत्रों कुओं, जलाशयों, पोखरों, जल सरणियों, नौघाटों, रास्तों, ग्रामस्थलों, हाटों, बाजारों, और मेलों स्थानों और खानों तथा खनिजों चाहे खनिज हो अथवा नहीं, को सम्मिलित करते हुए सभी भारग्रस्तताओं से मुक्त होकर राज्य सरकार को पुनर्ग्रहीत हो जाएंगे,

(ख) जागीरदार अथवा उसके हित पूर्वाधिकारी द्वारा जागीर भूमि में या उस पर सृजित समस्त अधिकार, हक और हित, सरकार के विरुद्ध समाप्त और पर्यवसित हो जाएंगे,

(ग) पुनर्ग्रहण की तारीख के पश्चात् जागीर भूमि में किन्हीं भी जोतों (कृषि के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिये जागीरदार द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर दी गई भूमि इसके अन्तर्गत है) के संबंध में, किसी भी अवधि के लिये समस्त लगान और उपकर, जो ऐसा पुनर्ग्रहण न किया गया होता तो जागीरदार को संदेय होते, सरकार को संदेय होंगे,

(घ) उस कृषि वर्ष के लिये जिसमें कि पुनर्ग्रहण की तारीख आती है, उक्त तारीख से पूर्व जागीरदार द्वारा अथवा उक्त तारीख के पश्चात् सरकार द्वारा वसूल किए गए समस्त राजस्व लगान, उपकर या अन्य देय उनमें से 7 प्रतिशत की दर से वसूली के खर्च काटने के पश्चात् जागीरदार तथा सरकार के बीच आनुपातिक रूप से वितरित कर दिये जायेंगे, वितरित की जाने वाली रकम का कृषि वर्ष के दौरान वसूल की गई कुल रकम के साथ वही अनुपात होगा जो पुनर्ग्रहण की तारीख के पूर्व या उक्त तारीख के पश्चात् जैसी भी स्थिति हो, की अवधि का संपूर्ण कृषि वर्ष से साथ हो,

(ङ) किसी जागीर भूमि के संबंध में पुनर्ग्रहण की तारीख से पूर्व की किन्हीं अवधि के लिये जागीरदार द्वारा देय समस्त राजस्व, उपकर अथवा अन्य देयों की समस्त बकाया, खण्ड (घ) के अधीन उसके द्वारा देय कोई भी राशि और सरकार द्वारा या प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा जागीरदार को उधार दिये गये समस्त ऋण ऐसे जागीरदार से वसूलीय बने रहेंगे,

(च) सरकार का जागीरदार को ऐसे जागीरदार के रूप में उसके अधिकारों के संबंध में कोई भी नकद संदाय करने का दायित्व समाप्त हो जायेगा,

(छ) जागीर भूमियों पर स्थित समस्त भवनों में, जो स्कूलों और चिकित्सालयों, जो निवास प्रांगणों के भीतर न हों, के उपयोग में आते हैं, जागीरदार का अधिकार, हक और हित, निर्वापित हो जायगा और ऐसे भवन राज्य सरकार को अन्तरित हो गये समझे जायेंगे,

(ज) खण्ड (क) के अधीन पुनर्ग्रहीत जागीर भूमि में जागीरदार या अन्य किसी व्यक्ति का अधिकार, हक और हित किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य आदेशिका के निष्पादन में कुर्की या विक्रय के दायित्वाधीन नहीं होगा और पुनर्ग्रहण की तारीख को विद्यमान कोई भी कुर्की या ऐसी तारीख से पूर्व पारित किया गया कुर्की का कोई भी आदेश प्रवृत्त नहीं रहेगा,

(द) इस अधिनियम के अधीन पुनर्ग्रहीत किसी भी जागीर भूमि के संबंध में जागीरदार, किसी भी विद्यमान जागीर विधि के या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय किसी शुल्क या भू-राजस्व के संदाय के लिये दायी नहीं रहेगा और न उनका सरकार को संदाय करने के लिये उससे अपेक्षा की जायेगी ।

(2) इस धारा में की कोई भी बात—

(क) जागीरदार द्वारा उपगत ऋणों के संदाय के लिये सरकार को दायी नहीं बनायेगी तथा ऐसे समस्त ऋणों के संदाय के लिये जागीरदार स्वयं दायी होगा,

(ख) उस कृषि वर्ष, जिसमें कि पुनर्ग्रहण की तारीख आती है, के प्रारंभ से पूर्व किसी भी अवधि के संबंध में, जागीर भूमि में, जागीरदार के अधिकारों के आधार पर उसको बंध रूप से देय किसी राशि की (7% की दर से संग्रहण व्ययों की कटौती के अध्यधीन रहते हुए) उसके द्वारा कलेक्टर के माध्यम से भू-राजस्व की बकाया के रूप में, वसूली पर रोक के रूप में प्रवृत्त नहीं होगी,

(ग) सरकार को, सरकार द्वारा जागीरदार को दिये गये तथा जागीरदार द्वारा खुदकाश्त भूमियों के अलावा अपनी अन्य जागीर भूमियों के आर्थिक अथवा कृषि विकास के लिये प्रयुक्त किन्हीं भी उधारों को पूर्णतः अथवा अंशतः माफ करने से प्रवारित नहीं करेगी :

परन्तु जहां कोई काश्तकार खण्ड (ख) में वर्णित देयों के लिये जागीरदार के दावे के सम्बन्ध में आपत्ति करे तो जागीरदार द्वारा ऐसे देयों के लिये विधि के अनुसार वाद प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा ।

22क. जागीरदार अभिलेख परिदत्त करेंगे.—ऐसा प्रत्येक जागीरदार, जिसकी जागीर भूमियां इस अधिनियम के अधीन पुनर्ग्रहीत की गई है या की जाती हैं, राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 1959 के प्रारंभ होने की तारीख से अथवा उसकी जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण की तारीख से दो माह के भीतर, जो भी बाद में हों, कलेक्टर को अथवा कलेक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, इस प्रकार पुनर्ग्रहीत अपनी जागीर भूमियों के प्रशासन तथा प्रबंध से संबंधित अथवा इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के क्रमशः खण्ड (2) तथा (4) में वर्णित प्राप्तियों तथा संवितरणों के विभिन्न मदों से संबंधित समस्त अभिलेख, जो ऐसी जागीर भूमियों के संबंध में ऐसे जागीरदारों ने संधारित किये अथवा कराये हों उस समय उसके कब्जे अथवा शक्त्यधीन हों, परिदत्त करेगा और उसके लिये सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित रसीद अभिप्राप्त करेगा :

परन्तु उन अभिलेखों का इस प्रकार परिदत्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा जो केवल इस प्रकार पुनर्ग्रहीत समस्त जागीर भूमियों अथवा उनके किसी भाग के जागीरदार को अनुदान या अनुदान की मान्यता से संबंधित है अथवा उसके साक्ष्य हैं ।

(2) यदि ऐसा कोई जागीरदार युक्तियुक्त कारण के बिना उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार अपने अभिलेख परिदत्त करने में विफल रहता है, तो किसी अन्य कार्यवाही जो इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हों, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जागीर आयुक्त, इस बारे में कलेक्टर द्वारा किये गये प्रतिवेदन पर, और ऐसी जांच, जो कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्:—

(i) ऐसे जागीरदार पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो, क्रमशः धारा 32 और धारा 38 के अधीन उसको संदत्त की जाने के लिए अन्तिम रूप से अवधारित मुआवजे और पुनर्वास अनुदान की संकलित राशि, के पन्द्रहवें हिस्से से अधिक नहीं होगी, और

(ii) ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने हेतु सक्षम मजिस्ट्रेट के माध्यम से विधिक कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर को निदेश दे सकेगा ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन जागीर आयुक्त के किसी आदेश से व्यथित सरकार अथवा कोई जागीरदार, ऐसे आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील की सुनवाई और उस पर बोर्ड के विनिश्चय पर धारा 39 की उप-धारा (2), (3) और (4) के उपबन्ध लागू होंगे।

(4) उप-धारा (2) के खण्ड (1) के अधीन किसी जागीरदार पर अधिरोपित किसी शास्ति की राशि, इस अधिनियम के अधीन उसको संदेय मुआवजे और पुनर्वास अनुदान की राशि में से काटी जा सकेगी और अन्यथा भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

23. निजी भूमियों, भवन, कुएं, गृहस्थल तथा अहाते.—(1) अन्तिम पूर्ववर्ती धारा में किसी भी बात के होते हुए भी, -

(क) किसी जागीरदार की खुदकाश्त भूमियां,

(ख) (i) समस्त खुले अहाते जो कृषि अथवा घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं और पुनर्ग्रहण की तारीख से ठीक छः वर्ष पूर्व से निरन्तर उनके कब्जे (जिसमें किसी हित पूर्वाधिकारी का कब्जा भी शामिल है) में है,

(ii) [× × ×]

(iii) ऐसे अहातों अथवा गृह-स्थलों, जैसे कि ऊपर खण्ड (i) [×××] में विनिर्दिष्ट हैं, में सम्मिलित भूमियों में स्थित समस्त निजी भवन, पूजा के स्थान और कुएं और उक्त भूमियों पर खड़े पेड़, अथवा ऐसे भवनों से या पूजा के स्थानों से अनुलग्न भूमि,

(iv) जागीरदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति के अथवा उसके द्वारा धारित समस्त बाग तथा फलों के वृक्ष जहां कहीं भी स्थित हों,

(ग) जागीरदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति के अथवा उसके द्वारा धारित समस्त [×××] निजी कुएं और भवन,

(घ) जागीरदार के व्यक्तिगत अधिभोग में के समस्त जलाशय, जो जागीर भूमि के किसी काश्तकार की भूमियों की सिंचाई के उपयोग में नहीं आते, ऐसे जागीरदार अथवा अन्य व्यक्ति के बने रहेंगे तथा उसके द्वारा धारित किये जाते रहेंगे :

परन्तु खण्ड (घ) की कोई भी बात किसी जलाशय के किसी भी प्रभाग में, जो जागीरदार की वैयक्तिक कृषि में हो, जागीरदार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

(2) यदि कोई प्रश्न उठे कि कोई संपत्ति उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार की है या नहीं तो वह जागीर आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो विहित जांच करने के पश्चात्, उस पर ऐसे आदेश देगा जो वह उचित समझे।

24. [लोपित]

25. जिस रकम को वसूल करने के लिये जागीरदार हकदार नहीं है, उसकी वसूली के लिये शास्ति.—(1) पुनर्ग्रहण की तारीख को तथा से कोई भी जागीरदार, किसी काश्तकार या जागीर के निवासी या किसी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति से कोई लगान, उपकर अथवा अन्य देय जिसे वह इस नियम के उपबन्धों के अधीन वसूल या ग्रहण करने का हकदार नहीं है, वसूल या ग्रहण नहीं करेगा।

(2) जहां कोई जागीरदार उप-धारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई लगान, उपकर या अन्य कोई देय वसूल करता है तो वह शास्ति के रूप में सरकार को ऐसी राशि जो 500 रुपये से अधिक न हों, जिसके लिए कलेक्टर विहित रीति से जांच करने के पश्चात् निदेश करे, संदाय करने का दायी होगा, और कलेक्टर ऐसा लगान, उपकर या अन्य देयों के प्रतिदाय का निदेश भी दे सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन वसूलीय समस्त राशियां भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

अध्याय 6

मुआवजे के लिये दायित्व

26. मुआवजा संदाय करने का दायित्व.—(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सरकार प्रत्येक जागीरदार को, जिसकी जागीर भूमियां धारा 21 के अधीन पुनर्ग्रहीत की जाती हैं, ऐसा मुआवजा संदाय करने की दायी होगी जो द्वितीय अनुसूची में अधिकथित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित किया जाय।

(2) इस धारा के अधीन संदेय मुआवजा पुनर्ग्रहण की तारीख से देय होगा और उस तारीख से संदाय की तारीख तक 2-1/ 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया जावेगा :

परन्तु मुआवजे की ऐसी किसी भी राशि पर जो जागीरदार, उसके अभिकर्ता या उसके हित प्रतिनिधि की चूक के कारण अदत्त रह जाय, कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।

26क. कतिपय हस्तान्तरण मुआवजे के निर्धारण हेतु मान्य नहीं होंगे.—जहां किसी जागीदार ने पहली जनवरी, 1949 को या उसके पश्चात्:-

(क) कोई जागीर भूमि विक्रय या दान अथवा अनुदान द्वारा हस्तान्तरित की है, अथवा

(ख) अपनी जागीर भूमि अथवा उसके किसी भाग का पट्टा तीन वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिये किन्हीं अकृषिक प्रयोजनों के लिये अनुदत्त किया है, अथवा

(ग) अपनी जागीर भूमि में किसी वन के बारे में कोई पट्टा अनुदत्त किया है अथवा संविदा किया है,

और जागीर आयुक्त का समाधान हो जाता है कि ऐसा हस्तान्तरण, अनुदान, पट्टा अथवा संविदा प्रबन्ध के सामान्य अनुक्रम में नहीं, अपितु जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण की प्रत्याशा में किया अथवा अनुदत्त किया गया था, तो जागीर आयुक्त निदेश दे सकेगा कि ऐसा हस्तान्तरण, अनुदान, पट्टा अथवा संविदा इस अधिनियम के अधीन जागीरदार को संदेय मुआवजे अथवा पुनर्वास अनुदान के निर्धारण के प्रयोजन के लिये मान्य नहीं होगा।

27. निर्वाह के लिये रकम.—(1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी वर्तमान जागीर विधि के अधीन, किसी जागीर की आय में से निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का हकदार है जागीरदार को संदेय मुआवजे और पुनर्वास अनुदान में से, वार्षिक रूप से निर्वाह के लिये ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो जागीर आयुक्त निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् निर्धारित करे:-

(i) निर्वाह भत्ते की रकम जो वह व्यक्ति पुनर्ग्रहण की तारीख से पूर्व जागीरदार से प्राप्त किया करता था अथवा प्राप्त करने का हकदार था,

(ii) उक्त निर्वाह भत्ता नियत करने के समय जागीर से होने वाली जागीरदार की शुद्ध आय,

(iii) जागीरदार को संदेय मुआवजे और पुनर्वास अनुदान की शुद्ध रकम, और

(iv) ऐसे अन्य मामले जो विहित किये जायें।

(2) उप-धारा (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, सरकार किसी विधवा के मामले में, जो ऐसा निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की हकदार है, इस अधिनियम के अधीन जागीरदार को संदेय मुआवजे और पुनर्वास अनुदान के पूर्ण रूप से संदत्त कर देने के पश्चात् भी राज्य की समेकित निधि में से उसको उसके जीवन काल के दौरान संपूर्ण निर्वाह भत्ता अथवा उसका कोई भाग देना जारी रख सकेगी।

28. कतिपय संदाय करने का दायित्व.- इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी यदि ऐसी जांच जो विहित की जाय, करने के पश्चात् सरकार का समाधान हो जाय-

(क) कि कोई धार्मिक संस्था इस अधिनियम के अधीन पुनर्ग्रहीत जागीर भूमियों की आय से, उनके पुनर्ग्रहण की तारीख के 6 वर्ष से अधिक पहले से ही धन का अनुदान प्राप्त कर रही थी, तो सरकार ऐसा अनुदान या उसका कोई भाग जैसा कि वह उचित समझे, राज्य की समेकित निधि में से देना जारी रख सकेगी,

(ख) कि कोई जागीरदार इस अधिनियम के अधीन पुनर्ग्रहीत उसकी जागीर भूमि की आय में से किसी व्यक्ति को कोई पेन्शन देने का दायी था, तो सरकार ऐसी पेन्शन या उसका कोई भाग, जैसा वह उचित समझे, राज्य की समेकित निधि में से दे सकेगी।

29. किसी सहअंशधारी को संदेय रकम.—जागीरदार के किसी सहअंशधारी को, जो किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी जागीर भूमि की आय में से कोई अंश प्राप्त करने का हकदार है, इस अधिनियम के अधीन संदेय मुआवजे और पुनर्वास अनुदान की वार्षिक किस्त में से ऐसी रकम का प्रति वर्ष संदाय किया जायगा जो कुल मुआवजे तथा पुनर्वास अनुदान के उसी अनुपात में होगी जो कि जागीर भूमि की कुल आय के साथ जागीर भूमि की आय के उसके अंश का है।

30. देय और ऋण.—धारा 22 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन जागीरदार द्वारा संदेय रकमें धारा 26 के अधीन उसे देय मुआवजे में से वसूलीय होंगी।

अध्याय 7

मुआवजे का संदाय

31. दावे का विवरण.—(1) प्रत्येक जागीरदार जिसकी जागीर भूमि धारा 21 के अधीन पुनंग्रहीत कर ली गई है, उस धारा के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की तारीख से दो माह के भीतर, मुआवजे के लिये विहित प्ररूप में दावे का एक विवरण जागीर आयुक्त के समक्ष दाखिल करेगा:

परन्तु जागीर आयुक्त इस धारा में विहित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये किसी विवरण को भी ग्रहण कर सकेगा यदि उसका इस बात से समाधान हो जाय कि जागीरदार विहित समय के अन्दर विवरण प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारणों से निवारित हो गया था।

(2) दावे के ऐसे प्रत्येक विवरण में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात् :—

(i) जागीर का वर्णन और जागीरदार का नाम,

(ii) उन गांवों की संख्या तथा नाम जो उसकी जागीर भूमियों में समाविष्ट हैं अथवा जिनमें वे स्थित हैं, साथ ही उनका क्षेत्रफल और उनके लगान से होने वाली आय का विवरण,

(iii) उसकी जागीर भूमियों से होने वाली कुल आय की रकमें जो द्वितीय अनुसूची के अनुसार संगणित की गई हों और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय के विस्तृत विवरण,

(iv) वे रकमें जिनकी जागीरदार की शुद्ध आय की संगणना के लिए द्वितीय अनुसूची के अनुसार कटौती की जानी अपेक्षित है,

(v) धारा 22 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन जागीरदार से वसूलीय देयों और ऋणों की रकम,

(vi) निर्वाह भत्ते के हकदार व्यक्तियों, यदि कोई हों, के नाम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को संदेय निर्वाह भत्ते की रकम सहित,

(vii) जागीर भूमि में सहअंशधारियों, यदि कोई हों, के नाम, ऐसे प्रत्येक सहअंशधारी के अंश के ब्यौरे सहित,

(viii) जागीर भूमि में जमींदारों, यदि कोई हों, के नाम, उस भू-राजस्व की राशि सहित जो, उनमें से प्रत्येक जागीरदार को देता है, और

(ix) ऐसे अन्य ब्यौरे जो विहित किये जायें।

(2) जहां किसी जागीरदार ने दावे के विवरण की पुष्टि में साक्ष्य रूप में किन्हीं दस्तावेजों पर निर्भर किया है (जो चाहे उसके कब्जे या शक्ति में हों या नहीं) तो वह ऐसे दस्तावेजों को एक सूची में दर्ज करेगा जो दावे के विवरण के साथ जोड़ी या उपाबद्ध की जायेगी।

32. मुआवजे का अवधारण.—(1) पूर्ववर्ती अन्तिम धारा[< × ×]के अधीन दावे का विवरण प्राप्त होने पर अथवा यदि उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है तो उस अवधि के समाप्त होने पर जागीर आयुक्त, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा–

(क) धारा 26 के अधीन जागीरदार को संदेय मुआवजे की रकम,

(ख) धारा 22 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) और द्वितीय अनुसूची के अधीन जागीरदार से वसूलीय रकम,

(ग) धारा 27 के अधीन वार्षिक निर्वाह भत्ते के हकदार व्यक्तियों को यदि कोई हों, संदेय ऐसे निर्वाह भत्ते की रकम,

(घ) × × ×]

(ङ) धारा 29 के अधीन सहअंशधारियों, यदि कोई हों, को संदेय रकम,

अनन्तिम रूप से अवधारित करेगा।

(2) उप-धारा(1) के अधीन किये गये आदेश की एक प्रति सरकार, जागीरदारों तथा प्रत्येक अन्य हितधारी व्यक्ति पर तामील की जायेगी और जागीर आयुक्त, सरकार, जागीरदार और ऐसे किसी भी हितधारी व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अन्तिम आदेश करेगा।

33. विनिश्चय की संसूचना देना.– जागीर आयुक्त यथा शीघ्र धारा 32 की उप-धारा (2) के अधीन किये गये, अपने अन्तिम आदेश की संसूचना सरकार, जागीरदार और प्रत्येक अन्य हितधारी व्यक्ति को देगा।

34. देय तथा कटौतियां किस प्रकार संदेय होंगी:–(1) धारा 22 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन जागीरदार से वसूलीय रकमें तथा धारा 32 की उप-धारा (2) के अधीन किये गये आदेश में अवधारित रकमें धारा 26 के अधीन उसको संदेय मुआवजे में से काट ली जायेंगी।

(2) धारा 32 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख), (ग) और (ङ) के अधीन अन्तिम रूप से अवधारित रकम उतनी ही किश्तों में संदेय होगी जितनी में कि जागीरदार को संदेय मुआवजा।

35. मुआवजे का संदाय :– (1) धारा 26 के अधीन जागीरदार को संदेय मुआवजे की रकम का धारा 32 की उप-धारा (2) के अधीन अन्तिम रूप से अवधारण हो जाने के पश्चात् तथा उक्त धारा के खण्ड (ख), (ग) और (ङ) में विनिर्दिष्ट रकमों की जैसी कि वे अन्तिम रूप अवधारित की गई हैं, उसमें से कटौती करने के पश्चात् शेष रकम का पन्द्रह समान वार्षिक किस्तों में अथवा जागीरदार के विकल्प पर तीस समान छः माही किस्तों में विभाजित कर दिया जायेगा।

(2) धारा 32 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख), (ग) और (ङ) में से प्रत्येक खण्ड के अधीन अन्तिम रूप से अवधारित रकमों की उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक किस्त में से कटौती की जायेगी और उसके हकदार प्रत्येक व्यक्ति को संदत्त की जायेगी और किस्तों की अवशिष्ट रकम सरकार द्वारा जागीरदार को संदेय होगी।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन मुआवजा—

(क) किसी अवयस्क को अथवा विधिक निर्योग्यता से ग्रस्त किसी ऐसे व्यक्ति को, संदेय है जो कि प्रतिपाल्य अधिकरण के पर्यवेक्षणाधीन है, तो मुआवजे की रकम प्रतिपाल्य अधिकरण को संदत्त की जायेगी।

(ख) किसी अवयस्क को अथवा विधिक निर्योग्यता से ग्रस्त किसी ऐसे व्यक्ति को संदेय जो प्रतिपाल्य अधिकरण के पर्यवेक्षणाधीन नहीं है, तो मुआवजे की रकम कलेक्टर द्वारा विहित रीति से जांच करने पर, ऐसे अवयस्क अथवा निर्योग्य व्यक्ति को उसकी स्वयी विधि के अनुसार, नैसर्गिक संरक्षक पाये जाने वाले व्यक्ति को संदत्त की जायेगी : किन्तु, ऐसे मामलों में जहां ऐसी संरक्षकता का प्रश्न विवादास्पद है, कलेक्टर अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को ऐसा प्रश्न अवधारित करने तथा इस धारा के प्रयोजनों के लिये अवयस्क अथवा निर्योग्य व्यक्ति को एक संरक्षक नियुक्त करने के लिये आवेदन करेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन जागीरदार को और [× × ×] सहअंशधारियों को, और निर्वाह भत्ते के हकदार व्यक्तियों, यदि कोई हों, को मुआवजे की रकम का संदाय कर देने पर सरकार द्वारा उसकी जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण के बदले में मुआवजा देने के दायित्व से सरकार का पूर्ण उन्मोचन हो जायगा लेकिन उन अधिकारों को, जिनको कोई भी अन्य व्यक्ति, उस व्यक्ति विरुद्ध जिसको इस प्रकार कोई रकम संदत्त की गई है, विधि की सम्यक् प्रक्रिया द्वारा प्रवर्तित करने का हकदार है, प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं करेगा।

35क. मुआवजे रकम :—इस अधिनियम के अधीन संदेय मुआवजा नकद में अथवा बंधपत्रों में अथवा अंशतः नकद में और अंशतः बंधपत्रों में, जैसाकि विहित किया जाय, दिया जायेगा।

36. <u>अन्तरिम मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान</u>.– (1) जहां किसी जागीर भूमि के पुनर्ग्रहण की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर जागीरदार को संदेय मुआवजा और पुनर्वास अनुदान अन्तिम रूप से अवधारित नहीं किया जाय तो सरकार, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत प्रतिभूति अथवा इन्डेमनिटी बन्ध-पत्र जैसा कि विहित किया जाय अभिप्राप्त करने संबंधी शर्तें आती हैं) जागीरदार को अन्तरिम मुआवजे और पुनर्वास अनुदान के रूप में ऐसी रकम का संदाय निदेश दे सकेगी, जो मुआवजे और पुनर्वास अनुदान की अनुमानित राशि के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा, जैसा कि जागीर आयुक्त नियत करे, और ऐसी रकम में धारा 36-क के अधीन आदिष्ट अन्तरिम संदाय भी सम्मिलित होगा ।

(क) [xxx]
(ख) [xxx]

परन्तु यदि जागीरदार को संदेय मुआवजा और पुनर्वास अनुदान उसकी जागीर भूमि के पुनर्ग्रहण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अन्तिम रूप से अवधारित नहीं हो पाता है, तो सरकार इसी प्रकार जागीरदार को अनुमानित मुआवजे और पुनर्वास अनुदान के ऐसे भाग का, जैसा कि सरकार प्रत्येक विशिष्ट मामले में विनिर्दिष्ट करे, अन्तरिम मुआवजे और पुनर्वास अनुदान के रूप में, उसका अन्तिम अवधारण होने तक कालिक-संदाय किये जाने का निदेश दे सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संदेय अन्तरिम मुआवजा और पुनर्वास अनुदान इस अधिनियम के अधीन संदेय मुआवजे और पुनर्वास अनुदान का एक भाग समझा जायेगा ।

36-क. <u>अन्तरिम निर्वाह भत्ता तथा अंश</u>.– (1) धारा 36 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और उस धारा में विहित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन जागीरदार को संदेय मुआवजे और पुनर्वास अनुदान में से–

(क) धारा 27 के अधीन कोई निर्वाह भत्ता, अथवा

(ख) धारा 29 के अधीन कोई अंश,

पाने का हकदार प्रत्येक व्यक्ति, इस निमित्त आवेदन-पत्र देने पर अन्तरिम निर्वाह भत्ते या अंश के रूप में जैसी भी स्थिति हो, कालिकतः ऐसी रकम प्राप्त करने का भी हकदार होगा, जैसी कि जागीर आयुक्त नियत करे ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया अन्तरिम संदाय, धारा 27 के अधीन अन्तिम रूप से नियत किये गये निर्वाह भत्ते की राशि का अथवा धारा 29 के अधीन अन्तिम रूप से नियत किये गये अंश की राशि का, जैसी भी स्थिति हो, अंग समझा जावेगा ।

37. <u>हक का प्रश्न</u>.– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान किसी जागीर भूमि में हक, अधिकार अथवा हित से संबंधित कोई प्रश्न उठे, जो किसी खुदकाश्त भूमि के संबंध में के विषय में अथवा उसकी बन्दोबस्त अभिलेखों में प्रविष्टि की शुद्धता अथवा अशुद्धता के विषय में अथवा वार्षिक रजिस्ट्री के विषय में अथवा किसी सीमा, नक्शे, फील्ड बुक, अधिकार अभिलेखों अथवा किसी अन्य बन्दोबस्त पर्चे वाजिब-उल-अर्ज या दस्तूर गवांई या वैध रूप से तैयार किये गये किसी अन्य बन्दोबस्त पर्चे के विषय में अथवा उसमें की गई प्रविष्टि की शुद्धता अथवा अशुद्धता के विषय में न होकर कोई अन्य प्रश्न हो, या राजस्थान जागीर विनिश्चय और कार्यवाहियां (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1955 की धारा 3 में निर्दिष्ट किसी प्रश्न से भिन्न हो और इस प्रकार उठने वाला प्रश्न किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पहिले से ही अवधारित नहीं किया गया हो तो जागीर आयुक्त इस प्रकार उठने वाले प्रश्न के गुणागुण की जांच करने के लिये अग्रसर होगा और उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे ।

(2) राजस्थान जागीर विनिश्चय और कार्यवाहियां (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1955 की धारा 3 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रश्न की, उक्त अधिनियम के उपबन्धों द्वारा ऐसा करने के लिये सक्षम घोषित किसी राजस्व अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा जांच की जायगी तथा उसका विनिश्चय किया जायेगा ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जागीर आयुक्त की अधिकारिता से अपवर्जित प्रत्येक प्रश्न की, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन ऐसा करने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा जांच की जायेगी तथा उसका विनिश्चय किया जायेगा ।

(4) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान कोई ऐसा प्रश्न उठे जैसा कि उप-धारा (2) और (3) में निर्दिष्ट है तो जागीर आयुक्त उसको ऐसा करने के लिये सक्षम न्यायालय को उसकी जांच करने तथा उसका विनिश्चय करने के लिये निर्दिष्ट करेगा और ऐसे विनिश्चय से बाध्य होगा और उसके अनुसार कार्य करेगा ।

38. <u>जागीरदार की मृत्यु पर मुआवजे का संदाय</u>.– यदि कोई जागीरदार जिसको कि इस अधिनियम के अधीन मुआवजा संदेय है, उसको ऐसे मुआवजे का पूर्ण संदाय होने से पूर्व मर जाता है तो ऐसा मुआवजा जो उसको इस अधिनियम के अधीन देना शेष रह जाय, कलेक्टर द्वारा विहित रीति से जांच किये जाने पर मृत जागीरदार की स्वीय विधि के अनुसार उसका उत्तराधिकारी पाये जाने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को संदेय होगा :

परन्तु ऐसे मामलों में जिनमें ऐसे उत्तराधिकारी अथवा विरासत का प्रश्न विवादास्पद हो; कलेक्टर उत्तराधिकार अथवा विरासत के समस्त दावेदारों को, अपने-अपने हक किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णीत करवाने का निदेश देगा तथा शेष मुआवजे का संदाय ऐसे न्यायनिर्णयन के अनुसार होगा ।

<u>अध्याय 7-क.</u>

<u>पुनर्वास अनुदान</u>

38-क. <u>पुनर्वास अनुदान के संदाय का दायित्व</u>:– (1) ऐसे प्रत्येक जागीरदार को जिसको कि इस अधिनियम के अधीन मुआवजा संदेय है, तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मापमानों के अनुसार पुनर्वास अनुदान दिया जायगा :

परन्तु ऐसा पुनर्वास अनुदान द्वितीय अनुसूची के खण्ड (7) में वर्णित किसी संस्था को संदेय नहीं होगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संदेय पुनर्वास अनुदान, पुनर्ग्रहण की तारीख से संदेय होगा और उस पर उस तारीख से संदाय की तारीख तक 2½ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया जायेगा :

परन्तु पुनर्वास अनुदान की ऐसी किसी रकम पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा जो जागीरदार या उसके अभिकर्ता या उसके वैधहित-प्रतिनिधि के किसी व्यतिक्रम के कारण अदत्त रह जाय ।

38ख. पुनर्वास अनुदान के संदाय के लिये आवेदन-पत्र .–प्रत्येक जागीरदार, जिसकी जागीर भूमि धारा 21 के अधीन पुनर्ग्रहीत कर ली गयी है, उस धारा के अधीन अधिसूचना की तारीख से दो माह के भीतर पुनर्वास अनुदान के अवधारण और संदाय के लिये जागीर आयुक्त को विहित प्ररूप में लिखित आवेदन करेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, जागीर आयुक्त, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे इस अध्याय के अधीन संदेय पुनर्वास अनुदान, लिखित आदेश द्वारा अवधारित करेगा ।

38ग. पुनर्वास अनुदान में से कटौती.– जहां अध्याय 6 के अधीन संदेय मुआवजा धारा 34 में निर्दिष्ट रकम की कटौती के लिये पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी रकम अथवा उसकी शेष की कटौती इस अध्याय के अधीन जागीरदार को संदेय पुनर्वास अनुदान में से की जा सकेगी ।

38घ. पुनर्वास अनुदान के संदाय पर अध्याय [illegible] के उपबंध लागू होंगे.– इस अध्याय के अधीन पुनर्वास अनुदान के अवधारण तथा संदाय पर अध्याय [illegible] के उपबन्ध, यथाशक्य, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे मुआवजे के अवधारण और संदाय पर लागू होते हैं ।

38ङ. कतिपय जागीरदारों को अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान का संदाय .– प्रत्येक जागीरदार जिसको कि धारा 38क. के अधीन पुनर्वास अनुदान संदेय है और जिसकी जागीर भूमियों से द्वितीय अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार संगणित कुल आय पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, उसको चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट मापमानों से अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान संदत्त किया जायेगा :

परन्तु ऐसा अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान द्वितीय अनुसूची के खण्ड (7) में वर्णित किसी संस्था को संदेय नहीं होगा ।

(2) उप-धारा (1) में वर्णित अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान पर पुनर्ग्रहण की तारीख से उसके संदाय की तारीख तक ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया जायेगा :

परन्तु अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान की किसी ऐसी राशि पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा जो जागीरदार अथवा उसके अभिकर्ता अथवा वैधहित-प्रतिनिधि के किसी व्यतिक्रम के कारण अदत्त रह जाय ।

(3) उप-धारा (1) में वर्णित पुनर्वास अनुदान तथा उप-धारा (2) में वर्णित उस पर ब्याज का संदाय धारा 26 के अधीन संदेय मुआवजे और धारा 38क. के अधीन संदेय पुनर्वास अनुदान की कुल रकम का जागीरदार को संदाय हो जाने के पश्चात् प्रारम्भ होगा और तीन समान वार्षिक किस्तों अथवा छः समान छः माही किस्तों में या तो नकद या बंधपत्रों में अथवा अंशतः नकद और अंशतः बंधपत्रों में किया जायगा ।

विविध

39. जागीर आयुक्त तथा कलेक्टर के आदेशों की अपीलें. —(1) धारा 5, धारा 23 की उप-धारा (2), धारा 24, धारा 25क., की उप-धारा (2), धारा 26क, धारा 32 की उप-धारा (2), धारा 35 की उप-धारा (3), धारा 36, धारा 36क, धारा 37, ××× धारा 38 या धारा 38ख, के अधीन जागीर आयुक्त अथवा कलेक्टर के किसी भी विनिश्चय से व्यथित सरकार अथवा कोई भी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे विनिश्चय की तारीख से 90 दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा ।

(1क) धारा 16 के अधीन कलेक्टर द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त को उसकी अपील कर सकेगा ।

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड को कोई अपील की जाये तो अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय बोर्ड की दो सदस्यों की एक बेंच द्वारा किया जायगा ।

(3) इस धारा के अधीन किसी अपील का विनिश्चय करने में, अपील की सुनवाई करने वाला प्राधिकारी, वही प्रक्रिया अपनायेगा, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) के अधीन उसको की गई अपीलों की सुनवाई के लिये विहित की गई है।

(4) इस धारा के अधीन की गई किसी अपील में बोर्ड अथवा खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

40. लेखन संबन्धी गलतियों का शुद्धिकरण .—इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में लेखन सम्बन्धी अथवा गणितीय गलतियां अथवा उसमें किसी आकस्मिक भूल अथवा लोप से उद्भूत गलतियां ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से अथवा इस निमित्त किसी हितबद्ध व्यक्ति से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर शुद्ध की जा सकेंगी :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो ।

40क. पुनर्विलोकन.—(1) बोर्ड, जागीर आयुक्त अथवा खुदकाश्त भूमियों का आयुक्त 18 जनवरी, 1958 से अथवा आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, जो भी बाद में हो, या तो किसी भी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर अथवा स्वतः, बोर्ड अथवा स्वयं ऐसे आयुक्त द्वारा अथवा उसके पूर्व पदाधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(2) बोर्ड अथवा जागीर आयुक्त अथवा खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त द्वारा पारित किसी भी आदेश का उप-धारा (1) के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 47 के नियम 1 में वर्णित आधारों में से किसी भी आधार पर से अन्यथा पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा, और उक्त आदेश के उपबन्ध लागू होंगे।

40ख. राज्य सरकार एक पक्षकार होगी.—इस अधिनियम के अधीन खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त या जागीर आयुक्त अथवा बोर्ड के समक्ष होने वाली प्रत्येक कार्यवाही में राज्य सरकार एक पक्षकार होगी तथा समझी जायेगी और राज्य सरकार पर तामील किया जाने वाला अथवा तामील किये जाने के लिये आशयित प्रत्येक नोटिस कलेक्टर पर तामील किया जा सकेगा।

41. मिथ्या कथन.—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में कोई व्यक्ति कोई ऐसा कथन करता है जो मिथ्या है अथवा जिसे वह मिथ्या समझता है अथवा उसके पास उसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण है अथवा उसके सत्य होने में विश्वास नहीं करता, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध-दोष ठहराया जाता है, तो ऐसी दोषसिद्धि और उस कारण से अधिरोपित किसी दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा व्यक्ति ऐसे किसी फायदे का, जो कि उसने इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन उस कथन के परिणामस्वरूप अभिप्राप्त किया हो जिसके कि संबंध में वह सिद्ध दोष ठहराया गया है, प्रतिदाय अथवा प्रत्यावर्तन करने का भी दायी होगा, और ऐसा प्रतिदाय अथवा प्रत्यावर्तन दोष सिद्धि के आदेश के अन्तिम हो जाने पर कलेक्टर द्वारा प्रवर्तित किया जा सकेगा।

42. जांच करने वाले अधिकारियों को सिविल न्यायालयों की शक्तियां प्राप्त होंगी.—इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने वाले या किसी अपील को सुनवाई करने वाले किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को,—

(क) शपथ पर्वों द्वारा तथ्यों के सबूत,

(ख) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति प्रवर्तित करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने,

(ग) दस्तावेज प्रस्तुत करने,

(घ) कमीशन जारी करने,

के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का अधिनियम 5) की धारा 480 और 482 के अर्थों में एक सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

42क. शक्तियों का प्रत्यायोजन.—(1) सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसकी प्राप्त समस्त शक्तियों को या उनमें से किसी भी शक्ति को, सिवाय उनके जो धारा 21 और 48 द्वारा प्रदत्त की गई हैं, जागीर आयुक्त, खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त अथवा अपने अधीनस्थ किसी भी अन्य अधिकारी को, राजस्थान राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुये, जागीर आयुक्त, खुदकाश्त भूमियों का आयुक्त अथवा कलेक्टर, सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त समस्त शक्तियों को या उनमें से किसी भी शक्ति को अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को अथवा राजस्व विभाग के किसी भी अधिकारी को, जो पद में सहायक कलेक्टर से अवर न हों, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

43. कतिपय अधिकारी लोक सेवक होंगे.—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसरण में अथवा तद्धीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अधीन कार्य कर रहा प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 25) के अर्थान्तर्गत एक लोक सेवक समझा जायेगा।

44. जागीरदार के कर्मचारी सरकार द्वारा नियोजित किये जायेंगे.—इस अधिनियम के अधीन बनाए गये किन्हीं भी नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जागीरदार की जागीर भूमियां इस अधिनियम के अधीन पुनर्ग्रहीत की गई हैं उसकी जागीर भूमियों के प्रबंध के सम्बन्ध में किसी जागीरदार द्वारा नियोजित कोई भी व्यक्ति, यावत्साध्य सरकार द्वारा नियोजित किया जायेगा।

45. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण.—(1) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के प्रशासन अथवा अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई अथवा की जाने के लिये आशयित किसी भी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(2) इस अधिनियम में अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबन्ध के परिणामस्वरूप हुए अथवा होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान अथवा हुई अथवा होने के लिये संभाव्य किसी क्षति के लिए अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के प्रशासन अथवा अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी भी बात के लिये सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

46. अधिकारिता का वर्जन.—(1) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसको छोड़कर, कोई भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में अधिकारिता नहीं रखेगा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना, विनिश्चित किया जाना या जिसके बारे में कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(2) इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी भी आदेश पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं उठायी जायेगी।

47. अधिनियम अन्य विधियों को अध्यारोहित करेगा.—इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर, इस अधिनियम के तथा तद्धीन बनाये गये आदेशों और नियमों के उपबन्ध, उसमें, किसी विद्यमान जागीर विधि अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

48. नियम बनाने की शक्ति.—(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राजस्थान राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार निम्नलिखित के लिये उपबंध करने हेतु नियम बना सकेगी :—

(क) [× × ×]

(ख) [× × ×]

(ग) धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र का प्ररूप,

(घ) वे निबन्धन तथा शर्तें जिन पर धारा 15 के अधीन अस्थायी पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा,

(घघ) खुदकाश्त सम्बन्धी मामलों के निर्वर्तन के संबंध में खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त की शक्तियां और खुदकाश्त अथवा खुदकाश्त के विनिमय में भूमि के आवंटन हेतु जांच करने की रीति,

(ङ) [× × ×]

(च) वे रियायती निबन्धन और शर्तें जिन पर धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकार की भूमि खुदकाश्त के रूप में आवंटित की जा सके,

(चच) वह रीति जिससे अन्तरिम मुआवजा और पुनर्वास अनुदान की किश्तें नियत की जा सके,

(छ) धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन दावे के विवरण और धारा 38-ख के अधीन आवेदन-पत्र का प्ररूप,

(छछ) नकद अथवा बंधपत्रों में मुआवजे और पुनर्वास अनुदान का संदाय,

(ज) वे शर्तें जिनके अधीन धारा 36 के अधीन अन्तरिम मुआवजा अनुदत्त किया जा सके;

(जज) धारा 44 के अधीन सरकारी सेवा में नियोजन के लिये निबन्धन और शर्तें;

(झ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन,

(ञ) [× × ×]

(ट) इस अधिनियम के अधीन जांच करने की रीति,

(ठ) इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी आदेश अथवा जारी किये गये किसी नोटिस की तामील की रीति, तथा

(ड) कोई अन्य मामला जो, इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना हो या किया जाय।

प्रथम अनुसूची

[देखिये धारा 2 का खण्ड (ज)]

(1) जागीर
(2) इस्तमरार
(3) चोकोती
(4) तनखा
(5) सूबा
(6) मामला
(7) इनाम
(8) लालजी
(9) खानगी
(10) मलूफा
(11) धौलपुर राज्य के ठिकाने
(12) खानपान
(13) खिदमत
(14) जायदाद सीगा
(15) मुआफी
(16) टांकेदर
(17) मांम
(18) सलामी
(19) चाकना
(20) पेटरोटी
(21) राजवी
(22) ताजीमी
(23) भोगता
(24) हजूरी
(25) सांसन
(26) मुतसदी
(27) खवास पासवान
(28) रिसाला
(29) मर्जादान
(30) पट्टा
(31) गुजारा
(32) उदक
(33) जूना जागीर
(34) भोमीचारा
(35) पसायता
(36) बाद
(37) धूंवा
(38) ढोली
(39) मिलक
(40) पुन्दार्थ
(41) धर्मादा
(42) इजारा इस्तमरार
(43) बापोती
(44) बक्शीश
(45) भूमि के राज्य अनुदान का कोई भी अन्य वर्ग अथवा भौमिक अधिकार।

द्वितीय अनुसूची

[देखिए धारा 26 तथा धारा 31 की उप-धारा (2) का खण्ड (iii)]

जागीरदारों को संदेय मुआवजे का अवधारण प्रशासित करने वाले सिद्धान्त

1. आधार वर्ष:—अभिव्यक्ति "आधार वर्ष" से, उस कृषि वर्ष, जिसमें पुनर्ग्रहण की तारीख पड़ती है, से ठीक पूर्ववर्ती कृषि वर्ष अभिप्रेत है ;

परन्तु अगस्त, 1958 के बीसवें दिन से तथा उस दिन को अथवा उसके पश्चात् पुनर्ग्रहीत जागीर भूमि के संबंध में अभिव्यक्ति "आधार वर्ष" से वह कृषि वर्ष अभिप्रेत है जिसमें पुनर्ग्रहण की तारीख पड़ती है।

2. सकल आय –आधार वर्ष के लिए किसी जागीरदार की सकल आय निम्नलिखित शीर्षों के अधीन उसकी जागीर भूमियों से होने वाली आय होगी:—

(क) जो भूमियां अधिभोग में हैं उनके भू-राजस्व और लगानों से आय, जो उसको प्रोद्भूत हुए अथवा अगस्त, 1958 के बीसवें दिन को अथवा उसके पश्चात् पुनर्ग्रहीत जागीर भूमियों के संबंध में, उसको प्रोद्भूत होते, यदि उनका पुनर्ग्रहण न हुआ होता,

(ख) वनों से होने वाली आय, जो आधार वर्ष से पूर्ववर्ती तीन वर्षों की औसत उपज के आधार पर संगणित हो,

(ग) चराई शुल्क से आय जो उस आधार पर संगणित हो जिस पर वनों से होने वाली आय संगणित की गई है, सिवाय इसके कि जहां चराई शुल्क सरकार द्वारा विहित किये जायें, वहां शुल्कों की विहित दर के आधार पर आय संगणित की जायेगी,

(घ) खदानों से होने वाली आय जो आधार वर्ष से पूर्ववर्ती 3 वर्षों की औसत उपज के आधार पर संगणित हो,

(ङ) भूमि के अन्य अकृषिक उपयोगों उदाहरणतः बाजार शुल्क, मत्स्य पालन के अधिकारों के विक्रय तथा इसी प्रकार के अन्य, लेकिन इसमें ग्राम स्थलों पर गृहों का किराया सम्मिलित नहीं है, आधार वर्ष से पूर्ववर्ती 3 वर्षों की औसत उपज के आधार पर संगणित हो

(च) कृषि योग्य अथवा आबादी भूमि के विक्रय से आय, जो आधार वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती नौ वर्षों के दौरान उससे होने वाली औसत आय के आधार पर संगणित हो,

(छ) मुआवजे की रकम अथवा जागीर भूमियों में नलकूप का विनिर्माण का काम अपने हाथ में ले लेने के कारण आधार वर्ष के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त या संदेय लगानों से होने वाली आय,

(ज) जागीर भूमियों में आबकारी प्रशासन और आबकारी योग्य वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण के काम को अपने हाथ में ले लिये जाने के कारण सरकार द्वारा जागीरदार को नकद में संदत्त मुआवजे की रकम, जो आधार वर्ष से पूर्ववर्ती तीन वर्षों की औसत उपज के आधार पर संगणित हो,

(झ) जागीरदार द्वारा दिये गये अनुदानों के संबंध में उसकी जागीर भूमि के अनुदानग्रहीताओं से प्राप्त या उनके द्वारा शोध्य संदायों से, यदि कोई हों, जागीरदार को प्राप्त आय :

परन्तु जहां आय के उपरोक्त शीर्षों अथवा उनके किसी भाग के संबंध में किसी व्यक्ति से जागीरदार को कोई निश्चित रकम प्राप्त हुई हो या प्राप्त हुई होती तो ऐसी निश्चित रकम खण्ड 3 में किसी भी बात के होते हुए भी ऐसे किसी भी शीर्ष या उससे किसी भाग से होने वाली आय के रूप में प्रतिस्थापित की जायगी ।

3. लगानों से होने वाली आय की संगणना.—लगान से होने वाली आय, धारा 6 और 7 के उपबन्धों के अनुसार संगणित की जायगी ।

4. शुद्ध आय:–आधार वर्ष के लिये जागीरदार की शुद्ध आय की संगणना उस वर्ष के लिये उसकी सकल आय में से निम्नलिखित को काट कर होगी :–

(i) वह रकम, जो जागीरदार सरकार को, और किसी जागीरदार के अनुदानग्रहीता की दशा में ऐसे अनुदान के संबंध में जागीरदार को, आधार वर्ष के लिये शुल्क के रूप में देने का दायी होता, यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया जाता,

(ii) आधार वर्ष के लिये देय भावर्ती प्रकार की कोई रकमें, जो जागीरदार की ओर से सरकार अथवा जागीरदार के अनुदानग्रहीता की दशा में, जागीरदार को, भू-राजस्व से भिन्न किसी भी अन्य लेखें, शोध्य हों, तथा

(iii) सकल आय के पच्चीस प्रतिशत के दर से प्रशासकीय प्रभार, जिनमें संग्रहण, भूमि अभिलेखों के अनुरक्षण,जागीर भूमियों के प्रबन्ध की लागत और लगानों की अवसूलीय बकाया सम्मिलित है :

परन्तु किसी दशा में शुद्ध आय सकल आय के पचास प्रतिशत के कम पर संगणित नहीं की जायेगी

परन्तु यह और कि खण्ड (iii) में वर्णित प्रशासकीय प्रभारों के कारण कोई भी रकम ऐसे जागीरदार की दशा में कटौती योग्य नहीं होगी जिसके कब्जे में वास्तव में उसकी जागीर भूमियां नहीं थीं तथा पुनर्ग्रहण की तारीख से ठीक पूर्व, उनसे होने वाली आय, तहसीलदार अथवा अन्य सरकारी अधिकारी द्वारा संग्रहीत की जा रही थी और संग्रहण भूमि के अभिलेखों के अनुरक्षण अथवा ऐसी जागीर भूमियों के प्रबंध के लिये कोई खर्चा लिये बिना जागीरदार को नकद में संदत्त की जा रही थीं :

परन्तु यह भी कि जहां किसी जागीरदार की सकल आय में खण्ड (2) की उप-धारा (ज) के अधीन होने वाली आय भी सम्मिलित है तो उक्त खण्ड के उक्त उप-खण्ड के अधीन जागीरदार को नकद में संदेय मुआवजे की रकम, को फैलाने से पूर्व राज्य के आबकारी विभाग द्वारा प्रशासकीय प्रभारों की रकम, यदि कोई हो, की, की गई कटौती, जागीरदार की सकल आय में से उक्त खण्ड के उप-खण्ड (iii) के अधीन कटौती करने योग्य प्रशासकीय प्रभारों की रकम में से काटी जायेगी।

5. मुआवजे की रकम.– धारा 26 के अधीन किसी जागीदार को संदेय मुआवजा इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार संगणित शुद्ध आय का सात गुना होगा।

6. सीमा-शुल्कों के लिये मुआवजा.–खण्ड 5 के अनुसार संदेय मुआवजे के अतिरिक्त सरकार जागीरदार को, सीमा शुल्कों के संबंध में ऐसा मुआवजा, यदि कोई हो देना जारी रखेगी जो आधार वर्ष में या उसके लिये सरकार से जागीरदार को प्राप्त होता था अथवा शोध्य था :

परन्तु ऐसे मुआवजे की रकम उसी अनुपात में कम की जायगी जिसमें कि सरकार द्वारा उद्ग्रहीत सीमा शुल्क कम किये जायें।

7. *पूर्त तथा शैक्षिक संस्थायें.– धारा 26 में अथवा इस अनुसूची के खण्ड 5 और 6 किसी भी बात के होते हुए भी, जहां कोई जागीर भूमियां, चाहे सीधे अथवा किसी जागीरदार से अनुदान के रूप, किसी शैक्षिक अथवा पूर्त प्रयोजन के लिये किसी संस्था अथवा किसी धार्मिक पूजा के किसी स्थान के अनुरक्षणार्थ अथवा किसी धार्मिक सेवा के संपादन के लिये धारण की जाती है तो सरकार आधार वर्ष में अथवा आधार वर्ष के लिये ऐसी जागीर भूमि से होने वाली शुद्ध आय की रकम बराबर शाश्वत रूप से एक वार्षिक रकम का मुआवजे के रूप में उस व्यक्ति को संदाय करेगी जो विधि के अनुसार तत्समय ऐसी संस्था अथवा पूजा के स्थान के अनुरक्षण अथवा ऐसी सेवा के संपादन के कर्तव्य से प्रभारित माना जाता है अथवा उसके पश्चात माना जावे।

स्पष्टीकरण.–इस खण्ड के प्रयोजनार्थ किसी भी जागीर भूमि की शुद्ध आय इसमें इसके पूर्व किसी भी बात के होते हुए भी, खण्ड (2) और (3) के उपबन्धों के अनुसार संगणित, ऐसी भूमि से होने वाली सकल आय के बराबर होगी जिसमें से ऐसी सकल आय की दस प्रतिशत (भूमि के प्रबन्ध के व्ययों के कारण) कम कर दी जायगी।

*राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (सं. 42 सन् 1959) द्वारा संशोधन।

"82. 1952 का राजस्थान अधिनियम 6 का संशोधन.–उस तारीख से, जिस तारीख को धारा 53 के अधीन किसी लोक न्यास के लिये प्रबन्ध समिति गठित की जाय, उस लोक न्यास के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम सं 6) की द्वितीय अनुसूची का खण्ड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो उसमें शब्द "उस व्यक्ति को संदाय करेगा जो विधि के अनुसार तत्समय ऐसी संस्था अथवा पूजा के स्थान के अनुरक्षण अथवा ऐसी सेवा के संपादन के कर्तव्य से प्रभारित माना जाता है अथवा इसके पश्चात् माना जाये" के स्थान पर शब्द "राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 53 के अधीन उसके लिये गठित प्रबन्ध समिति को संदाय करेगी" प्रतिस्थापित हो।"

तृतीय अनुसूची

(देखिए धारा 83 क)

1. सकल आय तथा शुद्ध आय.—जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ जागीर भूमियों की सकल तथा शुद्ध आय द्वितीय अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

2. पुनर्वास अनुदान का मापमान.– पुनर्वास अनुदान निम्नलिखित मापमान से संदेय होगा:–

(1) जहां जागीरदार की सकल आय 5000 रु. से अधिक न हो तो

(क) यदि ऐसी सकल आय 250 रु. से अधिक न हो शुद्ध आय का ग्यारह गुना

(ख) यदि ऐसी सकल आय 250 रु. से अधिक हो किन्तु 500 रु. से अधिक न हों,	शुद्ध आय का दस गुना
(ग) यदि ऐसी सकल आय 500 रु. से अधिक हो किन्तु 1000 रु. से अधिक न हो,	शुद्ध आय का नौ गुना
(घ) यदि ऐसी सकल आय 1000 रु. से अधिक हो किन्तु 2000 रु से अधिक न हो,	शुद्ध आय का आठ गुना
(ङ) यदि ऐसी सकल आय 2000 रु. से अधिक हो किन्तु 3000 रु. से अधिक न हो	शुद्ध आय का सात गुना
(च) यदि ऐसी सकल आय 3000 रु. से अधिक हो किन्तु 4000 रु. से अधिक न हो,	शुद्ध आय का छः गुना
(छ) यदि ऐसी सकल आय 4000 रु. से अधिक हो किन्तु 5000 रु. से अधिक न हो,	शुद्ध आय का पांच गुना:

परन्तु इस प्रकार में आने वाले जागीरदार को सदय पुनर्वास अनुदान की संगणना के प्रयोजनार्थ ऐसे छोटे मोटे समायोजन किये जायेंगे जिनसे यह सुनिश्चित हो जाय कि जिन जागीरदार की शुद्ध आय अधिक है, उसको कम शुद्ध आय वाले किसी जागीरदार की अपेक्षा पुनर्वास अनुदान के रूप में कम रकम प्राप्त न हो :

परन्तु यह और कि, इस उप-खण्ड के प्रथम परन्तुक के प्रयोजनों के लिये, आय की विभिन्न राशियों वाले जागीरदारों की तुलना करने में,—

(i) जो जागीरदार शुल्क नहीं दे रहे थे उनकी तुलना केवल उन्हीं जागीरदारों से की जायगी जो शुल्क नहीं दे रहे थे,

(ii) जो जागीरदार शुल्क दे रहे थे उनकी तुलना केवल उन्हीं जागीरदारों से की जायगी जो शुल्क दे रहे थे,

(iii) जो जागीरदार द्वितीय अनुसूची के खण्ड (4) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट आवर्ती प्रकार की किन्हीं रकमों का संदाय कर रहे थे उनकी तुलना केवल उन्हीं जागीरदारों से की जायगी जो ऐसी रकमों का संदाय कर रहे थे, और

(iv) उन जागीरदारों के संबंध में, जो शुल्क या द्वितीय अनुसूची के खण्ड (4) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट आवर्ती प्रकार की कोई रकमें भिन्न भिन्न नामधामों से दे रहे थे, तुल्यकार सकल आय का कोई प्रतिशत विहित करेगी जिस पर कि प्रत्येक जागीरदार के संबंध में शुल्क की रकम या ऐसी रकमें इस बात का विचार किये बिना संगणित की जायेंगी, कि ऐसी रकम, शुल्क की रकम या आवर्ती प्रकार की ऐसी रकमों से, जो कि वास्तव में उसके द्वारा संदत्त की जा रही थी अधिक है या कम है,

(2) जागीरदार, जिनकी सकल आय 5000 रु. से अधिक है—

(क) यदि ऐसी सकल आय 5000 रु. से अधिक हो किन्तु 20000 रु. शुद्ध आय का चार गुना से अधिक न हो

(ख) यदि ऐसी सकल आय 20000 रु. से अधिक हो किन्तु 30000 शुद्ध आय का तीन गुना रु. से अधिक न हो

(ग) यदि ऐसी सकल आय 30000 रु. से अधिक शुद्ध आय का दो गुना:

परन्तु इस प्रकार में आने वाले किसी जागीरदार के संबंध में, उपरोक्त गुणन इस प्रकार समायोजित किये जायेंगे कि ऐसे जागीरदार को सदय मुआवजे की और पुनर्वास अनुदान की कुल रकम उसकी जागीर भूमियों की शुद्ध आय की दस गुनी होगी यदि ऐसी आय द्वितीय अनुसूची के खण्ड (4) के अधीन संगणित की गई हो और उस खण्ड के उप-खण्ड (iii) के अधीन की जाने वाली कटौतियां निम्न मानमानों पर की गयी हो:—

(1) on the first Rs. 5,000 of gross income .. .. 10 per cent

(2) on the next Rs. 5,000 of gross income .. .. 15 per cent

(3) on the next Rs. 10,000 of gross income .. .. 25 per cent

(4) on the next Rs. 30,000 of gross income .. .. 40 per cent

(5) on the balance of Gross income .. .. 50 per cent

[3. *Additional rehabilitation grant in lieu of Khudkasht Land.*—A jagirdar entitled to a rehabilitation grant, who holds thirty acres of irrigated land or less of Khudkasht on the date of resumption, may, on application made to the Jagir Commissioner, be paid an additional rehabilitation grant for a period of fifteen years from such date equal to 12½ per cent of the rents assessed on such Khudkasht land in accordance with the provisions of section 6 or section 7.]

[THE FOURTH SCHEDULE

(*See section 38E*)

Additional rehabilitation grant referred to in section 38E shall be payable at the following scales, namely:—

(i) where the gross income of a jagirdar as calculated in accordance with the provisions of Second Schedule dose not exceed Rs. 250. ..four times the net income of the jagirdar as determined in accordance with the provisions of the Second Schedule;

(ii) where such gross income exceeds Rs. 250 but does not exceed Rs 500. ..three times such net income;

(iii) where such gross income exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 1,000. ..three times such net income;

(iv) where such gross income exceeds Rs. 1,000 but does not exceed Rs. 2,000. ..three times such net income;

(v) where such gross income exceeds Rs. 2,000 but does not exceed Rs. 3,000. ..twice such net income;

(vi) where such gross income exceeds Rs. 3,000 but does not exceed Rs. 4,000. ..twice such net income;